रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

सं. 45 (आर ई-2003)/2002—2007

फा. सं. 01/94/180/सार्वजनिक सूचना/ए एम 04/पी सी-4.—निर्यात आयात नीति 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :

1. "नेट बैंकिग से संबंधित शुल्क वापसी" से संबंधित एक नया परिशिष्ट-6ख इस सार्वजनिक सूचना के साथ जोड़ा गया है ।

2. परिशिष्ट-29 में "आवेदन शुल्क का विवरण" से संबंधित दूसरे उप-शीर्ष के अन्त में निम्नलिखित उप पैराग्राफ को जोड़ा जाएगा जो कि निम्नानुसार "आयात आवेदन शुल्क और अन्य शुल्क को जमा करने/वापिस करने की प्रक्रिया" से संबंधित है :-

तथापि, 01.04.2004 के बाद, आवेदन शुल्क में 50 प्रतिशत कमी केवल उन इलैक्ट्रानिक आवेदनों पर लागू होगी जो कि डिजीटल तौर पर हस्ताक्षरित और विदेश व्यापार महानिदेशालय वेबसाइट पर आनलाइन प्रस्तुत किए गए हों तथा जहाँ आवेदन शुल्क का भुगतान इलैक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से इलैक्ट्रानिक तौर पर किया गया हो । डिजीटल हस्ताक्षरों और इलैक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर के विभिन्न पहलुओं पर ब्यौरे विदेश व्यापार महानिदेशालय की वैबसाइट www.nic.in./eximpol पर प्राप्त किए जा सकते हैं ।

3 "इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर की प्रक्रिया" से संबंधित परिशिष्ट 29क को इस सार्वजनिक सूचना में संलग्न किया जाता है ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

परिशिष्ट - 6 ख

आवेदन शुल्क की ऐसे मामलों में वापसी जिनमें आवेदन शुल्क नैट बैंकिंग द्वारा जमा किया गया है।

(कृपया इस प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 2.3 देखें)

कार्यालय प्रयोग के लिए

फाइल सं0 ..... दिनांक.....

1. जिस श्रेणी के अधीन आवेदन शुल्क की वापसी का दावा किया गया है:(कृपया निशान लगाएं)

(1) विनिर्दिष्ट स्केल से अधिक जमा .....
(2) गलती से जमा किन्तु आवेदक को शुल्क के भुगतान से छूट .....
अथवा
(3) जमा किन्तु कोई आवेदन नहीं किया गया .....

2. उपर्युक्त श्रेणी 1(1) के अधीन दायित्व शुल्क वापसी के मामले में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें:

1) फाइल सं0 .....
2) आवेदित लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य .....
अथवा
(3) डी ई पी बी जिसके लिए आवेदन किया गया है।
4) निर्धारित स्केल का शुल्क .....
5) अदा किया गया अधिक शुल्क जिसके लिए शुल्क वापसी का दावा किया गया है.....

3. उपर्युक्त श्रेणी 1(2) के अधीन दावित शुल्क वापसी के मामले में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें:

1) आवेदन सं0 .....
2) अदा किया गया शुल्क रू0: .....
3) प्रावधान जिनके अधीन छूट का दावा किया जा रहा है: (कृपया विदेश व्यापार (विनिमयन) नियम, 1992 की धारा 5(3) में दी गई पाँच श्रेणियों में से केवल एक निर्दिष्ट करें).....

4. उपयुक्त श्रेणी 1(3) के अधीन यदि शुल्क वापसी का दावा किया गया है तो शुल्क जमा करने के बाद आवेदन न करने के कारण .....

(i) ई-काम संख्या
(ii) जमा किए गए शुल्क की राशि
(iii) शुल्क जमा करने के बाद आवेदन न करने के कारण

5. 1) बैंक का नाम जिसमें उक्त शुल्क जमा किया गया था .....
   2) बैंक का भुगतान पहचान (आई डी) की संख्या तथा दिनांक जिसमें आवेदन शुल्क जमा किया गया है।

6. लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिसके पास आवेदन किया गया/करने का प्रस्ताव था.....

7. 1) क्या शुल्क जमा करने के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया गया है .....
   2) यदि नहीं, तो उसका विस्तृत ब्यौरा दें.....

घोषणा/वचन

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त कथन मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं ठीक है और उसमें कुछ भी छुपाया या रोका नहीं गया है ।

2. मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य कोई परिणाम भुगताने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।

3. मैं/हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों, निर्यात एवं आयात नीति और प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं ।

4. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं नीति के पैरा 9.9 के अनुसार इस घोषणा को स्थापित करने और हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत हूँ ।

आवेदक के हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम .....

कार्यालय का पता .....
.....
आवासीय का पता .....
दूरभाष .....
ई.मेल पता .....

स्थान .....
तिथि .....

.....

ऊपर क्रम सं. 5 पर उल्लिखित विवरणों के मद्दे आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले बैंक के प्रमाणपत्र

.....

परिशिष्ट-29-क

इलेक्ट्रानिक फण्ड हस्तान्तरण

(अधिसूचित स्कीम हेतु नेट बैंकिंग के जरिये आयात आवेदन शुल्क की नामित बैंकों के माध्यम से जमा/वापसी की प्रक्रिया)

1. स्कीम और बैंक की अनुप्रयोज्यता	यह प्रक्रिया शुरू में अग्रिम लाइसेंस और ई पी सी जी के मामले में आवेदन शुल्क जमा करने के लिए लागू होगी बाद में अन्य स्कीमों को जोड़ा जायेगा। निर्यातक वेब साईट पर नामित बैंकों के माध्यम से भुगतान कर सकता है। इस समय इलेक्ट्रानिक फण्ड हस्तान्तरण के जरिये भारतीय स्टेट बैंक, आई सी आई सी आई और एच डी एफ सी बैंकों को फण्ड स्वीकार करने के लिए नामित किया गया है। बैंक और स्कीम, जहाँ इस व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रानिक फण्ड हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान किया आ सकता है, को समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।
फाईल करने का तरीका	जहाँ नेट बैंकिंग भुगतान सुविधा प्रयोग में लाई जा रही है, आवेदन इलेक्ट्रानिक तौर पर फाईल करना होगा अर्थात आवेदन विवरण विदेश व्यापार महानिदेशालय वेब साईट पर डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।

3.आवेदन शुल्क का विवरण	विवरण	शुल्क की रकम (रूपए में)
	1. आयात लाइसेंस के लिए आवेदन (डीईपीबी और ईपीसीजी के अलावा) जहां आवेदन में विनिर्दिष्ट माल का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य पचास हजार से अधिक नहीं है।	दो सौ
	2. आयात लाइसेंस के लिए आवेदन जहां आवेदन में विनिर्दिष्ट माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य पचास हजार से अधिक है।	न्यूनतम दो सौ रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये की शर्त के अधीन प्रति हजार या उसके अंश पर दो रुपये। तथापि, जो आवेदन इलेक्ट्रानिकी फाइल किये गये हैं वहाँ अधिकतम शुल्क एक लाख रू० होगा।
	3. लघु उद्योग एककों द्वारा प्रस्तुत आयात लाइसेंस के लिए आवदेन जहां आवेदन में विनिर्दिष्ट माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है।	दो सौ

	4. शुल्क हकदारी पासबुक के लिए आवेदन	शुल्क साख का पाँच प्रति हजार बशर्ते कि न्यूनतम दो सौ रूपए हों
	5. शुल्क हकदारी पासबुक सहित डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन	दो सौ
	6. आयातक/निर्यातक कोड संख्या के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन	एक हजार
	7. आयातक/निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट प्रति के लिए आवेदन	दो सौ
	8. पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन	दो सौ
	9. डुप्लीकेट पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन	एक सौ
	10. आयात लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन	दो सौ
	11. निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल के लिए आवेदन	शुल्क बचत का पाँच प्रति हजार बशर्ते कि न्यूनतम दो सौ रूपए हो
उपर्युक्त के बावजूद, इलेक्ट्रानिक तौर पर दर्ज सभी आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क, इस तालिका में निर्दिष्ट रकम से 50 प्रतिशत कम होगी। आवेदन को इलेक्ट्रानिक तौर पर दर्ज माना जाएगा, यदि डिजिटल हस्ताक्षर सहित आवेदन के विवरण विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर आन लाइन भरे गए होंगे। वर्तमान में इलेक्ट्रानिक फण्ड हस्तान्तरण, अग्रिम लाइसेंस और निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल के लिए संचालित किया जा रहा है।		
4. आवेदन प्रस्तुत करने का तरीका	इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक/आयातक को डी जी एफ टी की वेबसाइट को देखना होगा। एक ई-कॉम नम्बर जेनेरेट किया गया है। डी जी एफ टी वेबसाइट ब्यौरे पूरे होने पर यह बतायेगी कि क्या ई-भुगतान किया जाना है। यदि निर्यातक आवेदन शुल्क के लिए इलैक्ट्रानिक विधि हस्तांरण (ई एफ टी) को अपनाना चाहता है तो उसे यह पता होना चाहिए कि वह अपना लाइसेंसिंग कार्यालय नहीं बदल सकता। यदि ई एफ टी प्राप्त को स्वीकृत किया जाता है। तो वेबसाइट निर्यातक को आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए विशेष रूप से चुने गए नामजद बैंक को हस्तांतरित कर देगी। निर्यातक को बैंक में एक खाता खोलना होगा और बैंक से एक आई डी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। आई डी, पासवर्ड के सफलता पूर्वक वैधीकरण होने पर और शुल्क के भुगतान का अनुरोध प्राप्त होने पर निर्यातक के खाते में राशि को डेबिट किया जायेगा। बैंक भुगतान आई डी		

	जेनेरेट करेगा और राशि को ई-कॉम नम्बर के साथ संयोजन में पार्टी के नाम को डी जी एफ टी से अलग दर्शाया जायेगा। बैंक के सफल संदेश को निर्यातक के खाते में दिखाया जायेगा। इस प्रकार संबंधित ई-कॉम नम्बर के बारे में भुगतान पूरा हो जायेगा। यदि निर्यातक विशेष ई-कॉम-नम्बर के मद्दे कोई और भुगतान डालना चाहता है तो वह उसी दिन अर्थात् 24 घंटे के भीतर ऐसा कर सकता है। प्रत्येक अतिरिक्त भुगतान के लिए बैंक एक विलक्षण भुगतान आई डी जेनेरेट करेगा। बैंक को एक ई-कॉम-नम्बर के मद्दे सभी भुगतान करने होंगे
5. शुल्क के भुगतान से छूट	विदेश व्यापार (विनियमन), नियमावली, 1933 में यथा निर्दिष्ट ऐसी श्रेणी या वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में कोई शुल्क नहीं देना होगा।
6. आवेदन शुल्क की वापसी	1. एक बार किया गया आवेदन शुल्क निम्नलिखित परिस्थिति के अतिरिक्त वापस नहीं किया जाएगा जैसे: क) जहां निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क जमा कराया गया है, या ख) जहां शुल्क जमा करा दिया गया है किन्तु कोई आवेदन नहीं किया गया है, या ग) जहां शुल्क गलती से जमा करा दिया गया है लेकिन आवेदक को लाइसेंस शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है । 2. नेट बैंकिंग के जरिये जमा की गयी शुल्क की वापसी की कार्यवाही परिशिष्ट 6ख में दिये गये प्रपत्र के रूप में हार्ड कापी में एक आवेदन के माध्यम से की जायेगी। यह उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके प्रति ई-काम संख्या निर्धारित की गयी है। 3. आवेदन प्राप्त होने पर, वेतन और लेखा कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली से सत्यापन करने के बाद कि रकम भारत सरकार के खाते में क्रेडिट की गयी है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी वापसी स्वीकृत करेगा। 4. सम्बंधित बैंक को भुगतान की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद आवेदन शुल्क की वापसी के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। तथापि, गुण दोष आधार पर लिखित में कारणों को रिकार्ड करने के लिए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी देरी को माफ कर सकता है परन्तु किसी भी सूरत में उपर्युक्त यथा उल्लिखित तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद शुल्क वापसी के लिए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

	5. शुल्क वापसी आदेश जारी होने की तिथि से तीन महीने तक वैध होगा । उसके पुनर्वैधीकरण का आवेदन उस प्राधिकारी द्वारा जिसने शुल्क वापसी आदेश जारी किया है, पात्रता के आधार पर विचार करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है ।
7. सम्पर्क अधिकारी	विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें श्री ए.के. तनेजा, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिलली। फोन सं. 23011671, ई मेलः- aktaneja@ub.nic.in और श्री एन.के. धींगरा, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार महानेदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फोन सं. 23016262/344, ई मेलः- nkdhingra@ub.nic.in बैंकिंग जानकारी के लिए नोडल अधिकारीः- आई सी आई सी आई बैंक के हैं- i) श्री राजीव रंजन, फोन नं. 911124308416, ई मेलः- rajib.ranjan@icicibank.com और ii) सतीश मोहन, फोन नं. 911124308408, ई मेलः- satish.mohan@icicibank.com एच डी एफ सी बैंक के हैं- i) श्री पंकज गायकवाड़, फोन नं. 022-28524900/1840, ई मेलः- pankaj.gaikwad@hdfcbank.com , ii) श्री समीर गवान्डे, फोन नं. 022-28524900/1530, iii) श्री राकेश वटाल, फोन नं. 022-28524900/1509, ई मेलः- rakesh.watal@hdfcbank.com स्टेट बैंक आफ इंडिया के हैं- i) श्री एस के गुप्ता, सहायक जनरल मैनेजर (व्यापार नियंत्रण) फोन नं. 022-22022487 ई मेलः- agmbc@sbiid.com ii) श्री के एम त्रिवेदी (ए जी एम-डी ओ प्लानिंग) फोन नं. 022-22868210 ई मेलः- agmdoplg@sbiid.com

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th January, 2004

No. 45(RE-2003)/2002—2007

F. No. 01/94/180/Public Notice/AM 04/PC-IV.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002—2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I) :

In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I):

1. A new Appendix 6 B pertaining to the "Refund of Application fee submitted through Electronic Fund Transfer" is appended to this Public Notice.

2. The following sub paragraph is added at the end of the 2nd sub heading pertaining to "Scale of Application Fee" in Appendix 29 which refers to the "Procedure for Deposit/ Refund of Import Application Fee and Other Fee" as under:

   However from 01.04.2004 onwards, this 50% reduction in the application fee would be applicable to only those electronic applications which are digitally signed and submitted online on the DGFT website and where the application fee is paid electronically through the Electronic Fund Transfer (EFT). For details on various aspects of digital signatures and EFT, information on the DGFT website at www.nic.in/eximpol may kindly be perused.

3. Appendix 29 A pertaining to "Procedure of Electronic Fund Transfer" is appended to this Public Notice.
   This issues in Public Interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade

APPENDIX-6 B

APPLICATION FOR REFUND OF APPLICATION FEE SUBMITTED THROUGH ELETRONIC FUND TRANSFER

(Please see paragraph 2.3 of this Handbook)

FOR OFFICIAL USE

File No..... **Date**.....

1. Category under which refund of application fee is being claimed: (Please tick)

(i) Deposited in excess of the specified scale :.....

(ii) Deposited in error but the applicant is exempt from payment of fee : .....

OR

(iii) Deposited but no application has been made : .....

2.. In case the refund is claimed under category 1 (i) above, the following details may be furnished:

(i) Application No. : .....

(ii) CIF value of the license applied for : .....

OR

(iii) DEPB applied for : .....

(iv) Fee payable at the prescribed scale. : .....

(v) Excess fee paid for which refund is claimed : .....

3. In case the refund is claimed under category 1 (ii) above, the following details may be furnished:

(i) Application No.: : .....

(ii) Amount of fee paid :Rs.....

(iii) Provision under which the exemption is being claimed: (Please, specify only one of the five category as given in Clause 5(3) of Foreign Trade (Regulation) Rules, 1992) : .....

4. In case the refund is claimed under the category 1 (iii) above, the reasons for not making an application after depositing the fee: .....

i) e-com number .....

ii) Amount of fee paid .....

iii) Reasons for not applying after depositing fee .....

5. i) Name of Bank where payment made. .....

ii) No. and date of the Bank payment ID in which the application fee has been deposited. .....

6. Licensing Authority with whom the application has been files/ was proposed to be filed:- .....

7. i) Has this application been filed within one year of the deposit of the fee: .....

ii) If not, the detail reasons thereof .....

DECLARATION/UNDERTAKING

1. I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held therefrom.
2. I/We fully understand that any information furnished in the Application if proved incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
3. I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders framed thereunder, the Export and Import Policy and the Handbook of Procedures.
4. I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of the Policy.

Signature of the Applicant

Place:
Date:

Name .....
Designation .....
Official Address .....
.....
Residential Address .....
.....
Tele. No. .....
E. Mail Address.....

Bank Certificate to be enclosed with the application form against particulars mentioned at S. N0.5 above.

Appendix –29-A.

Procedure of Electronic Fund Transfer

(Procedure for deposit/refund of Import Application fees through Electronic Fund Transfer for notified schemes through designated banks)

1. Applicability to Schemes & banks.	This procedure will be applicable for deposit of application fees in the case of Advance license and EPCG to begin with. Other schemes may be added in due course. Exporters may pay through designated banks on website. At present the State Bank of India, ICICI and HDFC banks have been designated to accept funds by way of Electronic Fund Transfer (EFT). The banks and schemes where payment can be made through Electronic Fund Transfer (EFT) under this regime shall be further notified from time to time.

2. Mode of filing	Application shall have to be filed electronically where net banking payments facility is being used, i.e. application particulars shall have to be submitted on the DGFT web site with digital signature.

3. Scale of Application fee.	PARTICULARS	unt of fee (in rupees)
	1. Application for import license (except for DEPB and EPCG) where CIF value of goods specified in the application does not exceed Fifty thousand.	Two hundred.
	2. Application for import license where CIF value of goods specified in the application exceeds Rupees Fifty Thousand.	Two per thousand or part thereof subject to minimum of Two hundred and maximum of One lakh and fifty thousand. However, for applications filed electronically, the max. fee would be Rs. One lakh.
	3. Application for import license filed by SSI units where the CIF value of goods specified in application does not exceed Rupees Two lakhs.	Two hundred.
	4. Application for Duty Entitlement Passbook (DEPB).	Five per thousand of duty credit subject to a min. of Rs. Two hundred.
	5. Application for grant of duplicate license including Duty Entitlement Pass Book.	Two hundred.
	6. Application for issue of certificate of Importer/Exporter Code Number (IEC)	One thousand.
	7. Application for duplicate copy of IEC No.	Two hundred.
	8. Application for issue of an Identity Card.	Two hundred.
	9. Application for issue of duplicate Identity Card.	One hundred.

	10. Application for revalidation of an import license.	Two hundred.
	11. Application for Export Promotion Capital Goods (EPCG).	Five per thousand of duty saved subject to a min. of Rs. Two hundred.
Notwithstanding the above, the application fee for all applications filed electronically would be 50% of the amount specified in this table. Application shall be taken as electronically filed if the application particulars are submitted online on DGFT web-site with digital signature. Presently Electronic Fund Transfer is being operated for Advance licenses and EPCG.		

4. Mode of Deposit	For electronic filling of application exporter/importer needs to access the website of the DGFT. An e-com number is generated. The DGFT website on completion of details would prompt if e-payment is to be made. If the exporter wants to move to Electronic Fund Transfer (EFT) for application fees he should be aware that he cannot change his licensing office. If EFT prompt is accepted, the website will transfer the exporter to the particular designated bank chosen for submission of application fees. The exporter would need to have an account with the bank, an ID and password from the bank. On successful validation of his ID, Password and request for submission of the fees the exporter's account gets debited. The bank will generate a Payment ID and amount shall thereafter stand reflected in conjunction with e-com number, name of party in the sever of DGFT. A successful message by the bank shall show on the exporters account. The payment shall thereafter stand completed with regard to the concerned e-com number. In case the exporter needs to add further payments against the particular e-com number he may do so within the same day i.e. upto 24.00 hrs. For each additional payment the bank shall generate a unique payment ID. Against one e-com number only one bank shall be required to make all payments.
5. Exemption from Payment of fee.	No fee shall be payable in respect of any application made by such class or category of applicant as specified in the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1933.

6. Refund of Application	1. The fee once received will not be refunded except in the following circumstances viz., a) Where the fee has been deposited in excess of the specified amount of fee; or b) Where fee has been deposited but no application has been made; or c) Where the fee has been deposited in error but the applicant is exempt from payment of fee. 2. Processing of refund of fee submitted through net banking shall be through an application in hard copy as per form given in Appendix 6-B. This may be submitted to the licensing authority against whom the e-com number has been generated. 3. On receipt of application the licensing authority shall pass refund after they have verified from the Pay and Accounts Office, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi that the amount was credited to the Government of India. 4. No claim for refund of application fee shall be entertained by the licensing authority after expiry of one year from the date of payment to the concerned bank. However, on merits, for reasons to be recorded in writing, the licensing authority may condone the delay but in no case shall an application for refund of fees be entertained after the expiry of three years with regard to the date as mentioned above. 5. Refund Order of fees will be valid for three months from the date of issue. Request for revalidating the same may be considered on merits by the authority which issued the Refund Order.

7.Contact Persons	For further clarifications at DGFT end please contact Shri A.K. Taneja, Joint DGFT, Directorate General Foreign Trade, Udyog Bhawan, New Delhi. Phone No. 23011671, e-mail:- aktaneja@ub.nic.in and Shri N.K.Dhingra, Deputy DGFT, Directorate General of Foreign Trade, Udyog Bhawan, New Delhi. Phone No .23016262/344, e-mail :- nkdhingra@ub.nic.in For banking clarifications nodal officers of :- ICICI bank are :- i) Shri Rajib Ranjan, Phone No. 91 11 2430 8416, E-mail :- rajib.ranjan@icicibank.com and ii) Satish Mohan, Phone No. 91 11 2430 8408, E-mail:- satish.mohan@icicibank.com

	HDFC Bank are :- i) Shri Pankaj Gaikwad, Phone No. 022 – 28524900 (Ext. 1840) E-Mail :- Pankaj.Gaikwad@hdfcbank.com , ii) Shri Sameer Gawande, Phone No. 022-28524900 (Ext 1530) iii) Shri Rakesh Watal, Phone No.022-28524900 (Ext 1509), E-mail :- Rakesh.watal@hdfcbank.com State Bank of India are:- i) Shri S.K. Gupta, Asst. Genl. Manager(Business Control) Phone No.022-22022487 E-Mail:- agmbc@sbiid.com ii) Shri K.M. Trivedi (AGM-DO Planning) Phone No.022-22868210 E-Mail:- agmdoplg@sbiid.com

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.